

चीफ जस्टिस एस.जे.वज़ीफ़दार और न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह
धिंदसा

लेट एसएच आत्मा राम गर्ग

का पुत्र जी.सी.धुरीवाला—

याचिकाकर्ता

बनाम

यूनिअन टेरिटरी, चंडीगढ़ और अन्य —

उत्तरदाताओं

2014 का सीडब्ल्यूपी No.24832

23 सितंबर 2015

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 — S.5 — चंडीगढ़ (साइटों और भवन की बिक्री) नियम, 1960 — R1.9 — चंडीगढ़ में आवासीय परिसर के एक हिस्से का उपयोग किया जा सकता है डॉक्टरों, अधिवक्ताओं आदि द्वारा पेशेवर उद्देश्यों के लिए — कोई नहीं है आवश्यकता है कि उपयोगकर्ता परिसर के मालिक हों और हो सकते हैं किरायेदारों / रहने वालों — रिट की अनुमति है।

हम इस तरह की लाइन के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ हैं। किसी प्रावधान को पढ़ने में, इस पर विचार करना आवश्यक होगा,

संदर्भ जिसमें इसे बनाया गया है और उद्देश्य और वस्तु जो यह है हासिल करना चाहता है। प्रावधान को एक तरीके से पढ़ना होगा जो इरादे और उद्देश्य को प्रभावित करता है और आगे बढ़ाता है। खण्ड 3 दिनांक 14.8.1996 की अधिसूचना स्पष्ट है। परिसर में रहने वाले पेशेवर/परामर्शदाता रहे हैं परामर्श उद्देश्य के लिए उसके एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दी गई है कवर किए गए क्षेत्र की अधिकतम सीमा जोड़ने तक इस तरह के प्रावधान के पास है। ऐसे प्रावधान को इसमें कुछ अलग जोड़ने/प्रतिस्थापित करने या पढ़े बिना एक अर्थ दिया जाना चाहिए। खंड 3 के दायरे को ऐसे पेशेवरों तक सीमित रखना जो न केवल अपने निवास के लिए संबंधित परिसर का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि उसके मालिक भी हैं, स्पष्ट रूप से प्रावधान में कुछ जोड़ने और इस तरह उसके दायरे को सीमित करने के समान होगा। इसकी भी अनुमति नहीं होगी। हमारे सुविचारित विचार में, दिनांक **14.8.1996** की अधिसूचना के खंड **3** का लाभ ऐसे सभी पेशेवरों/सलाहकारों को मिलेगा जो परिसर के एक हिस्से का उपयोग करते हैं। यह उसके अंतर्गत निर्धारित क्षेत्र की अधिकतम सीमा के अधीन है और साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे परिसर का उपयोग अपने निवास के लिए कर रहे हैं। परिसर का मालिक होने की शर्त को खंड **3** में शामिल नहीं किया जा सकता है जैसा कि प्रतिवादी संख्या **3** ने विवादित आदेश पारित करते समय किया है। प्रशासन का यह मामला नहीं है कि परिसर में क्लीनिक चलाने वाले डॉ. पवन कुमार उसमें रहते

नहीं थे। ऐसे में, इस आधार पर दुरुपयोग का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

(पैरा 10)

आगे कहा गया कि जहां तक आवासीय परिसर में एसटीडी/पीसीओ/फैक्स या फोटोस्टेट मशीन की स्थापना का सवाल है, यह चंडीगढ़ प्रशासन, वित्त विभाग द्वारा जारी दिनांक **19.6.1998** के आदेश द्वारा शासित होता है:

"चंडीगढ़ प्रशासन

वित्त विभाग

गण

19 जून, 1998

No.2240-UTF (3) -98 / 8211 — द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ (साइटों और भवन की बिक्री) नियमों के नियम **9** का परंतुक, **1960** मुख्य प्रशासक की पूर्वानुमति से प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, इसके द्वारा बनाता है जिन साइटों के लिए आवंटन किया गया है, उनके संबंध में आदेशों का पालन किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में आवासीय उद्देश्य, अर्थात् :-

1. ट्रांसफ़ेरेस को 20% तक भवन का उपयोग आवासीय क्षेत्र अधिकतम 15 वर्ग मीटर एसटीडी, पीसीओ, फैक्स या फोटोस्टेट की स्थापना के लिए मशीन करने की अनुमति है।

2. एसटीडी, पीसीओ, फैक्स या फोटोस्टेट मशीन को स्थापित करने के इच्छुक ट्रांसफ़ेरेस को लिखित रूप में एस्टेट अधिकारी, यूनियन क्षेत्र, चंडीगढ़ को उसी के बारे में सूचित करना चाहिए।
3. इस तरह के उद्देश्य लिए केवल स्वीकृत भवन का उपयोग किया जा सकता है और बाहरी संरचनाएं स्थापित नहीं की जाएंगी।

चंडीगढ़

N.S.Kang

7^{वें} जून, 1998,

वित्त सचिव & और मुख्य

प्रशासक, संघ क्षेत्र,

चंडीगढ़"

(Para11)

आगे आयोजित किया गया के ऐसे आदेश 19.6.1998 के संदर्भ में, आवासीय परिसर में एक फोटोस्टेट मशीन की स्थापना अधिकतम 15 वर्ग के उपयोग के लिए अनुमेय विषय है। हालाँकि, एसटीडी, पीसीओ, फैक्स या फोटोस्टेट मशीन स्थापित करने वाले व्यक्ति के लिए संपदा अधिकारी को इसके बारे में लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य है। स्वीकार किया, वर्तमान मामले में, निरीक्षक (दुरुपयोग), पर परिसर निरीक्षण कर रिपोर्ट दी थी कि इसमें कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति अनुलग्नक पी2 में रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज़ से समझ में आती है और जिसे उत्तरदाताओं द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह उभर कर आता है कि थाफोटोस्टेट मशीन की स्थापना हेतु परिसर में उपयोग हेतु **15** वर्ग से कम मीटर. डाल दिया गया। वही

19.6.1998 के आदेश के आलोक में अनुमति दी गई थी। ऐसी मशीन की स्थापना के संबंध में संपदा अधिकारी को सूचित करने में विफलता को अधिक से अधिक चूक माना जा सकता है। लेकिन इसका परिसर दुरुपयोग नहीं माना जा सकता ताकि दुरुपयोग शुल्क लगाया जा सके ।

(Para12)

जी.सी. धूरीवाला

व्यक्ति में

याचिकाकर्ता.

विक्रम वीर शारदा, के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील

उत्तरदाताओं नंबर 1 से 3

एस. पी गार्ग, एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 4 के

लिए।

न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढींढसा,

(1) तत्काल रिट याचिका में संपदा अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पारित, चंडीगढ़ के फैसले को दुरुपयोग के आरोप लगाने में प्रशासन नंबर **616**, सेक्टर **18-बी**, चंडीगढ़ (इसके बाद इसे कहा जाएगा ('परिसर')) दोहराया चंडीगढ़ सदन के संबंध में आदेश को दिनांक **19.8.2014** को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने एक रिट जारी करने की भी मांग की है

उसके पास मौजूद रु. 4,65,813/- की राशि की वापसी के लिए परमादेश दुरुपयोग शुल्क के लिए ब्याज @18% प्रति वर्ष सहित पहले ही जमा कर दिया गया है ।

(2) एक संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि आवश्यक होगी ।

(3) दुरुपयोग के आरोप इस आधार पर लगाए गए थे कि परिसर के एक हिस्से का उपयोग डॉ. पवन कुमार और डॉ. सुनीता कुमार द्वारा "कुमार क्लिनिक" के नाम और शैली के तहत परामर्श उद्देश्य के लिए क्लिनिक चलाने के लिए किया जा रहा था और स्थापना के कारण भी भूतल पर एक फोटोस्टेट मशीन की। दुरुपयोग की अवधि **17.8.2006** से **23.1.2007** तक बताई गई। माना जाता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता कथित दुरुपयोग की अवधि के दौरान परिसर का आंशिक मालिक था। याचिकाकर्ता द्वारा परिसर में अपने हिस्से की बिक्री/हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन किया गया था, जिसका जवाब प्रशासन द्वारा उसे यह कहकर दिया गया था कि उसे पहले दुरुपयोग शुल्क रु. . **2,93,333/-** ब्याज सहित। ऐसी परिस्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता ने परिसर विरोध के तहत दिनांक **28.7.2011** को ब्याज सहित पूरे दुरुपयोग शुल्क की राशि **4,65,813/-** रु का आंशिक मालिक होने के बावजूद।

याचिकाकर्ता ने परिसर पर दुरुपयोग के आरोप लगाए जाने की आलोचना की और इस अदालत में **2013** की सिविल रिट

याचिका संख्या **5093** दायर करके पहले से जमा की गई राशि की वापसी की भी मांग की और आदेश दिनांक के अनुसार डिवीजन बेंच द्वारा इसका निपटारा कर दिया गया। **31.3.2014**, जो इस प्रकार है:

“याचिकाकर्ता दिनांक **26.7.2011**, **28.7.2011** और **17.12.2012** (क्रमशः पी5, पी7 और पी14) के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए, उत्तरदाताओं को रुपये की राशि वापस करने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश चाहता है। **2,93,033/-** प्लस रु. **1,72,480/-** जो उसने दुरुपयोग शुल्क और उस पर ब्याज के लिए जमा किया है।

उपरोक्त कथित शुल्क चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवासीय परिसर संख्या **616**, सेक्टर **18-बी**, चंडीगढ़ के संबंध में इस आधार पर लगाया गया है कि उक्त परिसर के एक हिस्से का मेडिकल क्लिनिक और एक फोटोस्टेट मशीन चलाकर दुरुपयोग किया गया था।

याचिकाकर्ता ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी दिनांक **14.8.1996** की अधिसूचना पर भरोसा किया, जिसमें आवासीय परिसर के **50** वर्ग मीटर तक के एक हिस्से को पेशेवरों द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट आदि। याचिकाकर्ता की उक्त याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई है कि जो डॉक्टर

क्लिनिक चला रहा था और जो फोटोस्टेट मशीन चला रहा था, वे एक ही घर में नहीं रहते थे।

उपर्युक्त कारण का खंडन करने की दृष्टि से, याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर के साथ रिकॉर्ड दस्तावेज़ (ए-1 से ए-3) प्रस्तुत किए हैं।

चूँकि ये दस्तावेज़ आक्षेपित आदेशों के पारित होने के समय अधिकारियों के समक्ष नहीं थे और ऐसा प्रतीत होता है कि इन दस्तावेज़ों का तत्काल मामले में शामिल मुद्दे पर सीधा असर है, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं, दिनांक **26.7** के आक्षेपित आदेशों को रद्द करते हैं। **2011, 28.7.2011** और **17.12.2012** (क्रमशः पी-5, पी-7 और पी-14) और उपर्युक्त राशि की वापसी के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को सहायक संपदा अधिकारी, यू.टी., चंडीगढ़ को भेज दें। . इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एक उचित आदेश पारित किया जाए और यदि इसके लिए पात्र पाया जाए, तो उसके बाद एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता को देय राशि वापस कर दी जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर रिफंड नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता **7%** प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा।

दस्ती का निपटारा।”

(4) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक **31.3.2014** के कथित अनुपालन में, संपदा अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, प्रतिवादी संख्या **3**, ने दिनांक **19.8.2014**, अनुलग्नक पी **17** पर लागू आदेश पारित किया है, जिसमें अधिरोपण के निर्णय की पुष्टि की गई है। परिसर में दुरुपयोग का आरोप।

(5) नोटिस जारी होने पर, उत्तरदाताओं संख्या **1** से **3** की ओर से सहायक संपदा अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ का जवाब दाखिल किया गया है और रिकॉर्ड पर रखा गया है। परिसर पर दुरुपयोग के आरोप लगाने को दिनांक **19.8.2014** के विवादित आदेश में दिए गए तर्क के आधार पर उचित ठहराने की मांग की गई है। यह कहा गया है कि जो डॉक्टर परिसर के एक हिस्से में क्लिनिक चला रहा था, वह खुद मालिक नहीं था और इस तरह यह दुरुपयोग के समान था। यहां तक कि परिसर के भूतल पर एक फोटोस्टेट मशीन की स्थापना के संबंध में, यह कहा गया है कि संपदा अधिकारी को लिखित में कोई सूचना नहीं दी गई थी और यह भी "दुरुपयोग" की श्रेणी में आएगा।

(6) याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को भी विस्तार से सुना गया है।

(7) पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चंडीगढ़ प्रशासन ने दिनांक **14.8.1996** को अधिसूचना जारी की, जिसे आधिकारिक राजपत्र में विधिवत प्रकाशित किया गया। ऐसी अधिसूचना चंडीगढ़ में भवनों के निर्माण के संबंध में निर्देशों के रूप में थी। अधिसूचना का खंड **3** इस प्रकार है:

“**3.** पेशेवर/सलाहकार, अर्थात् डॉक्टरों, अधिवक्ताओं और वास्तुकारों आदि को अपने निवास क्षेत्र के हिस्से का अधिकतम **50** वर्ग मीटर तक उपयोग करने की अनुमति होगी। मीटर. या कवर किए गए क्षेत्र का **25%**, जो भी कम हो, केवल पेशेवर परामर्श प्रदान करने के लिए। हालाँकि, समय-समय पर संशोधित चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश, **1954** के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

(8) खंड **3** को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि डॉक्टरों, अधिवक्ताओं आदि जैसे पेशेवरों को छूट दी गई है और उन्हें केवल पेशेवर परामर्श के प्रयोजनों के लिए अपने निवास के एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग की अधिकतम सीमा भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की

गई थी अर्थात् **50** वर्ग मीटर तक। मीटर. या संबंधित परिसर के कवर किए गए क्षेत्र का **25%**, जो भी कम हो। वर्तमान मामले में, उस क्षेत्र के संबंध में कोई विवाद नहीं है जिसका उपयोग परामर्श उद्देश्य के लिए क्लिनिक चलाने के लिए परिसर में किया जा रहा था। यह **14.8.1996** को जारी अधिसूचना के खंड **3** में परिभाषित अनुमेय सीमा के भीतर था। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या **3** ने दिनांक **19.8.2014** के आक्षेपित आदेश में दिनांक **14.8.1996** की अधिसूचना के खंड **3** की व्याख्या की है और इसका अर्थ यह निकाला है कि पेशेवरों के लिए इसमें दी गई छूट किरायेदारों के पक्ष में लागू नहीं की जा सकती है। कब्ज़ा करने वाले दूसरे शब्दों में, विचार यह है कि परिसर के क्षेत्र के हिस्से का उपयोग करने की अनुमति केवल ऐसे पेशेवरों के लिए खुली होगी, चाहे वे डॉक्टर, वकील आदि हों, जो संपत्ति के मालिक हैं।

(9) हम इस तरह के तर्क से सामंजस्य बिठाने में असमर्थ हैं। किसी प्रावधान को पढ़ते समय, उस संदर्भ पर विचार करना आवश्यक होगा जिसमें इसे बनाया गया है और जिस उद्देश्य और वस्तु को यह प्राप्त करना चाहता है। प्रावधान को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जो उसके इरादे और उद्देश्य को प्रभावित करे और आगे बढ़ाए। दिनांक **14.8.1996** की अधिसूचना का खंड **3** स्पष्ट और सुस्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। परिसर में रहने वाले पेशेवरों/परामर्शदाताओं को कवर किए गए क्षेत्र की निर्धारित

अधिकतम सीमा के अधीन परामर्श उद्देश्य के लिए इसके एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसे प्रावधान को इसमें कुछ अलग जोड़ने/प्रतिस्थापित करने या पढ़े बिना एक अर्थ देना होगा। खंड 3 के दायरे को ऐसे पेशेवरों तक सीमित रखना जो न केवल अपने निवास के लिए संबंधित परिसर का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि उसके मालिक भी हैं, स्पष्ट रूप से प्रावधान में कुछ जोड़ने और इस तरह उसके दायरे और दायरे को सीमित करने के समान होगा। इसकी भी अनुमति नहीं होगी। हमारे सुविचारित विचार में, दिनांक **14.8.1996** की अधिसूचना के खंड 3 का लाभ ऐसे सभी पेशेवरों/परामर्शदाताओं को मिलेगा जो परिसर के एक हिस्से का उपयोग उसके तहत निर्धारित क्षेत्र की अधिकतम सीमा के अधीन करेंगे और साथ ही वे परिसर का उपयोग भी करेंगे। उनका अपना निवास. परिसर का मालिक होने की पूर्व शर्त को खंड 3 में शामिल नहीं किया जा सकता है जैसा कि प्रतिवादी संख्या 3 ने विवादित आदेश पारित करते समय किया है। प्रशासन का यह मामला नहीं है कि परिसर में क्लिनिक चलाने वाले डॉ. पवन कुमार वहां नहीं रहते थे। इस तरह के आधार पर दुरुपयोग के आरोप लगाए जाने को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(10) जहां तक आवासीय परिसर में एसटीडी/पीसीओ/फैक्स या फोटोस्टेट मशीन की स्थापना का सवाल है, यह चंडीगढ़ प्रशासन,

वित्त विभाग द्वारा जारी दिनांक **19.6.1998** के आदेश द्वारा शासित है। वही यहाँ नीचे निकाला गया है:

“चंडीगढ़ प्रशासन

वित्त विभाग आदेश

19 जून 1998

संख्या **2240-यूटीएफ (3) - 98/8211** - चंडीगढ़ (साइटों और भवन की बिक्री) नियम, **1960** के नियम **9** के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य प्रशासक, प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश की पूर्व मंजूरी के साथ , चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में आवासीय उद्देश्य के लिए आवंटित की गई साइटों के संबंध में निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात्: -

1. स्थानांतरित व्यक्तियों को भवन के आवासीय क्षेत्र के **20%** तक, अधिकतम **15** वर्ग मीटर तक उपयोग करने की अनुमति है। एसटीडी, पीसीओ, फैक्स या फोटोस्टेट मशीन की स्थापना के लिए।

2. एसटीडी, पीसीओ, फैक्स या फोटोस्टेट मशीन स्थापित करने के इच्छुक स्थानांतरित व्यक्तियों को इसके बारे में संपदा अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

3. स्वीकृत भवन का केवल एक हिस्सा ही ऐसे उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है और बाहरी संरचनाएं स्थापित नहीं की जाएंगी।

चंडीगढ़

एन.एस. कांग

7 जून 1998,

वित्त सचिव एवं

मुख्य प्रशाषक &

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़”

(11) दिनांक **19.6.1998** के ऐसे आदेश के अनुसार, आवासीय परिसर में फोटोस्टेट मशीन की स्थापना अधिकतम **15** वर्ग मीटर के उपयोग की शर्त पर अनुमत है। मीटर. हालाँकि, एसटीडी, पीसीओ, फैक्स या फोटोस्टेट मशीन स्थापित करने वाले व्यक्ति के लिए संपदा अधिकारी को इसके बारे में लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य है। माना जाता है कि, वर्तमान मामले में, निरीक्षण पर निरीक्षक (दुरुपयोग) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि परिसर में कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति अनुलग्नक पी2 में रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज़ से समझ में आती है और जिसे उत्तरदाताओं द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह उभर कर आता है कि **15** वर्ग से कम। मीटर. परिसर में एक फोटोस्टेट मशीन की स्थापना के लिए उपयोग में लाया गया था। दिनांक **19.6.1998** के आदेश के आलोक में यह अनुमन्य था। ऐसी मशीन की स्थापना के संबंध में संपदा अधिकारी को सूचित करने में विफलता को, अधिक से अधिक, एक चूक माना जा सकता है, लेकिन इसे परिसर का दुरुपयोग नहीं माना जा सकता है ताकि दुरुपयोग शुल्क लगाया जा सके।

(12) हम पाते हैं कि, अन्यथा भी, आक्षेपित आदेश दिनांक **19.8.2014**, अनुलग्नक पी **17, 2013** की सिविल रिट याचिका संख्या **5093** का निपटारा करते समय डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक **31.3.2014** में निहित निर्देशों के विपरीत चलता है। वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दायर पूर्वोक्त रिट याचिका में, लिखित बयान दाखिल करते समय संपदा अधिकारी द्वारा एक स्पष्ट रुख अपनाया गया था और उसके पैरा **6** में, यह कहा गया था कि डॉ. पवन कुमार और डॉ. सुनीता कुमार जो 'कुमार क्लिनिक' के नाम और शैली के तहत परिसर में क्लिनिक चला रहे थे, वहां नहीं रह रहे थे। आगे यह कहा गया था कि फोटोस्टेट मशीन चलाने वाले प्रोपराइटर द्वारा भी निवास के रूप में परिसर पर कब्जा नहीं किया गया था और इस प्रकार, दिनांक **14.8.1996** की अधिसूचना का लाभ उपलब्ध नहीं था। डिवीजन बेंच ने मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए संपदा अधिकारी को भेजते समय और रिट याचिका के साथ संलग्न किए गए अनुलग्नक ए **1** से ए **3** के दस्तावेजों को ध्यान में रखने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ इस तरह के रुख पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। उन्हीं दस्तावेजों को अनुलग्नक पी **16** (कॉली) में तत्काल याचिका के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया है। इसके अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता ने **2.6.2001** को किराया याचिका संख्या **25** के माध्यम से डॉ. पवन कुमार और डॉ. सुनीता कुमार के खिलाफ निष्कासन याचिका दायर की थी और जिसका फैसला

12.5.2004 को किराया नियंत्रक द्वारा उनके पक्ष में किया गया था। याचिकाकर्ता ने डॉ. पवन कुमार और उनकी पत्नी को दो महीने की अवधि के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया। डॉ. पवन कुमार ने किराया अपील संख्या **20** दिनांक **29.5.2004** दायर की, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने **5.2.2008** को खारिज कर दिया और उन्हें परिसर खाली करने के लिए तीन महीने का समय दिया। इसके बाद उन्होंने इस न्यायालय में सिविल रिवीजन नंबर **2449/2008** दायर किया और जिसे **16.2.2010** को खारिज कर दिया गया। यहां तक कि वर्ष **2005** से संबंधित एक मतदाता सूची भी रिकॉर्ड में रखी गई है जिसमें श्री अनिल मल्होत्रा यानी फोटोस्टेट मशीन के मालिक और उनके परिवार को संबंधित परिसर से संबंधित मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि संपत्ति अधिकारी ने दिनांक **19.8.2014** को विवादित आदेश पारित करते हुए डिवीजन बेंच द्वारा जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद ऐसे दस्तावेजों से निपटने का विकल्प नहीं चुना है। बल्कि वह अब पलटवार करने और दिनांक **14.8.1996** की अधिसूचना के खंड **3** की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़े हैं, जो उन कारणों से पूरी तरह से अस्थिर है जिन्हें हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादी संख्या **3** द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, दिनांक **19.8.2014**, अनुलग्नक पी **17**, को रद्द कर दिया गया है और यह निर्देशित किया गया है

कि याचिकाकर्ता ने पहले ही जमा किए गए दुरुपयोग के आरोपों यानी रु। **4,64,813/-** रुपये उसे जमा करने की तारीख से **8%** प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस किए जाएं, जब तक कि वह वास्तव में वापस न हो जाए।

(13) याचिका मंजूर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा

